"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल 2018 — चैत्र 21, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
स्थापना शाखा

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक 620/वि. स./स्था/2018 . — सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22, सन 2005) की धारा-28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अध्यक्ष, विधान सभा छत्तीसगढ़ "छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) संशोधन नियम-2011 एवं 2016" में निम्नलिखित संशोधन करते है :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह नियम "छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) (संशोधन) नियम-2018" कहलायेंगे

(2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(2) परिभाषा

नियम का तात्पर्य छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क और मूल्य विनियमन) नियम-2018 से है.

(3) नियम-5 में संशोधन-

नियम -5 में अंक एवं शब्द रुपये 300/- (रुपये तीन सौ) के स्थान पर अंक एवं शब्द रुपये 50/- (रुपये पचास) प्रतिस्थापित किया जाये.

(4) नियम-6 में संशोधन

नियम -6 के उप नियम 1 से 3 में शब्द रुपये पन्द्रह के स्थान पर रुपये पांच प्रतिस्थापित किया जाये.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.